छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

छठवी मंजिल, टॉवर "सी", कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी
सेक्टर– 21, अटल नगर, रायपुर (छ.ग), 492002
website- www.markfed.cg.nic.in Email.id ; mf_ctrlroom_raipur@gov.in

क्र./विप./कैप कव्हर /एफ–1/ 4414/2018 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 11.12.2018

विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों में धान की सुरक्षा हेतु ब्लैक पॉलीथीन कैप कव्हर की निविदा के संबंध में संशोधित सूचना

विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों में धान की सुरक्षा हेतु ब्लैक पॉलीथीन कैप कव्हर क्रय हेतु ऑनलाईन ई–निविदा के संबंध में प्री बीड दिनांक 05.10.2018 को विपणन संघ मुख्यालय में आयोजित की गई थी। प्री बीड में प्राप्त आवेदनों/सुझाव के परीक्षण पश्चात् निविदा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. ब्लैक पॉलीथीन कैप कव्हर के तकनीकी मापदण्ड परिषिष्ट 2 की कंडिका 1(b) में कैप कव्हर का वजन 55 Kg. – 4%, 8% (55 Kg. – 60 Kg.) उल्लेख है जिसे None of the covers should weigh less then 50 kg and average weight of cover should be 55 kg minimum per lot. किया जाता है।
2. निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं की कंडिका 4 को इस प्रकार संशोधन किया जाता है निविदाकार को निविदा में उल्लेखित किसी भी एंजेसी के माध्यम से तकनीकी मापदण्ड का गुणवत्ता परीक्षण कैप कव्हर आपूर्ति के पूर्व एवं आपूर्ति के पश्चात् परिशिष्ट 2 (तकनीकी मापदण्ड) में उल्लेखित नियमों के तहत कराया जाना अनिवार्य है एवं उसमें लगने वाले समस्त व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।
3. निविदा के तकनीकी मापदण्ड के बिन्दु कमांक 7 को संशोधित करते हुए आपूर्ति किये जाने वाले कैप कव्हर के किसी भी एक तरफ फर्म का स्टीकर लगाया जावे, जो धूप एवं बरसात में खराब न हो।
4. निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं की कंडिका 3 (IV) में निविदाकर्ता को फर्म/कंपनी का उद्योग विभाग का कार्यरत प्रमाण पत्र के स्थान पर उद्योग आधार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं की कंडिका 3 (VIII) को संषोधित करते हुए निविदाकर्ता को ब्लैक पॉलीथीन कैप कव्हर आपूर्ति का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में विगत् 5 वर्षो (2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18) में से किन्ही 3 वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ के कार्य का अनुभव संबंधी दस्तावेज 100 रू. के स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र के साथ निविदा में संलग्न करना अनिवार्य है।

शेष नियम व शर्ते यथावत् रहेगे।

11/12/18

महाप्रबंधक (विप)